न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी :– महिपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 07 / 2019 राजस्व वाद
1.नरेन्द्र कुमार आत्मज बालु कलाल उम्र व्यस्क निवासी आठोलिया तहसील करेड़ा
2.लीला पुत्री बालु कलाल उम्र व्यस्क निवासी आठोलिया तहसील करेड़ा

———

वादीगण

बनाम

1. कैलाश आत्मज बालु कलाल उम्र व्यस्क निवासी आठोलिया तहसील करेड़ा
2. प्रकाश आत्मज बालु कलाल उम्र व्यस्क निवासी आठोलिया तहसील करेड़ा
3. संतोष आत्मज बालु कलाल उम्र व्यस्क निवासी आठोलिया तहसील करेड़ा
4. कन्या पुत्री बालु कलाल उम्र व्यस्क निवासी आठोलिया तहसील करेड़ा
5. गीता पुत्री बालु कलाल उम्र व्यस्क निवासी आठोलिया तहसील करेड़ा
6. पिस्ता पुत्री बालु कलाल उम्र व्यस्क निवासी आठोलिया तहसील करेड़ा
7. टीपु पत्नी बालु कलाल उम्र व्यस्क निवासी आठोलिया तहसील करेड़ा
8. जसोदा पत्नी बालु कलाल उम्र व्यस्क निवासी आठोलिया तहसील करेड़ा फौत
   डिलीट दिनांक 10.02.2020
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा जिला भीलवाड़ा

———

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित :–
1. श्री मुकेश कुमार जैन –अधिवक्ता
वादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 11:22:57 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक– 06.07

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती का इस आशय का पेश किया कि सरहद आठोलिया पटवार हल्का शिवपुर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 2,3, 91, 117, 169, 170, 171, 179, 222, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 527, 528, 606, 607, 657, 666, 678, 685, 686, 687, 3369/2, 3405/179, 3419/298, 3420/299, 3421/299, 3422/307 कुल किता 31 रकबा 39 बीघा 07 बिस्वा जो बालू पिता प्रताप जी कलाल के समय की है। जिनके वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 प्रथम श्रेणी के वारीसान है। बालू आत्मज श्री प्रताप जी कलाल के देहान्त पश्चात उक्त वादग्रस्त आराजियता जिनके समस्त प्रथम श्रेणी के वारीसान के नाम पर जरिये इंतकाल संख्या 21 से दर्ज किया गया, किन्तु राजस्व अधिकारीयो एवं कर्मचारीयो ने भूल व गलती से बालू जी के वारीसान वादी नरेन्द्र कुमार के बजाय नरेश व वादी संख्या 02 लीला के बजाय नीला कित कर दिया, जबकि बालू जी के नरेश व नीला नाम की कोई संतान नही है एवं बालू जी के देहान्त के पश्चात उनकी वादग्रस्त आराजियात मे अन्य वारीसान के साथ साथ वादीगण का भी हिन्दु उत्तराधिकार अनुसार प्रत्येक का 1/10, 1/10 हक हिस्सा निहित हो गया एवं उक्त हक हिस्से अनुसार ही वादीगण उक्त वादग्रस्त आराजियात पर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण का उनके समस्त राजकीय दस्तावेजो मे भी नाम क्रमशः नरेन्द्र कुमार व लीला ही है। उक्त वादग्रस्त आराजियात के राजस्व अभिलेख मे वादीगण का नाम गलत अंकित हो जाने से वादीगण के खातेदारी अधिकारो पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। जिससे घौषणात्मक डिक्री पारित करायी जाकर इन्द्राज दुरूस्ती द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजियात के राजस्व अभिलेख मे नरेश के बजाय नरेन्द्र कुमार व नीला के बजाय लीला अंकित कराया जाना आवश्यक है।

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया [illegible] वादीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये व प्रतिवादीगण [illegible] व एक तरफा कार्यवाही की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 11:22:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

प्रकरण मे वादीगण की ओर से अपने शपथपत्र व प्रतिवादी संख्या 4 कन्या देवी , प्रतिवादी संख्या 3 संतोष .के शपथपत्र पेश किये गये व दस्तावेजात पेश किये गये।

वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए राजस्व रेकार्ड मे दर्ज राजस्व अभिलेख मे नरेश के बजाय नरेन्द्र कुमार व नीला के बजाय लीला अंकित कराये जाने व दुरूस्ती करने हेतु हेतु निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मे भी नरेन्द्र कुमार पुत्र बालू कलाल व लीला पुत्री बालू कलाल दर्ज है व बहिन प्रतिवादीया द्वारा भी नरेश कुमार का नाम नरेन्द्र कुमार होने व नीला का नाम लीला होने बाबत कथन किया गया व नाम दुरूस्त करने मे किसी प्रकार की आपत्ति नही होना बताया गया। अतः वादीगण का नाम नरेश कुमार पुत्र श्री बालू कलाल के बजाय नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बालू कलाल व नीला पुत्री बालू कलाल की जगह लीला पुत्री बालू कलाल दुरूस्त करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादीगण का आवेदन स्वीकार कर सरहद आठोलिया पटवार हल्का शिवपुर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 2,3, 91, 117, 169, 170, 171, 179, 222, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 527, 528, 606, 607, 657, 666, 678, 685, 686, 687, 3369/2, 3405/179, 3419/298, 3420/299, 3421/299, 3422/307 कुल किता 31 रकबा 39 बीघा 07 बिस्वा के राजस्व रेकार्ड मे वादीगण का नाम नरेश कुमार पुत्र श्री बालू कलाल के बजाय नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बालू कलाल व नीला पुत्री बालू कलाल की जगह लीला पुत्री बालू कलाल दुरूस्त कराया जावे। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

उक्त निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। उक्तानुसार डिकी जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
... पदेन सहायक कलक्टर,
क... भीलवाड़ा (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 11:22:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय : उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिकी ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– महिपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 07 / 2019 राजस्व वाद
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 89 आर.टि.एक्ट

1.नरेन्द्र कुमार आत्मज बालु कलाल उम्र व्यस्क निवासी आठोलिया तहसील करेड़ा

2.लीला पुत्री बालु कलाल उम्र व्यस्क निवासी आठोलिया तहसील करेड़ा

———

वादीगण

बनाम

1. कैलाश आत्मज बालु कलाल उम्र व्यस्क निवासी आठोलिया तहसील करेड़ा
2. प्रकाश आत्मज बालु कलाल उम्र व्यस्क निवासी आठोलिया तहसील करेड़ा
3. संतोष आत्मज बालु कलाल उम्र व्यस्क निवासी आठोलिया तहसील करेड़ा
4. कन्या पुत्री बालु कलाल उम्र व्यस्क निवासी आठोलिया तहसील करेड़ा
5. गीता पुत्री बालु कलाल उम्र व्यस्क निवासी आठोलिया तहसील करेड़ा
6. पिस्ता पुत्री बालु कलाल उम्र व्यस्क निवासी आठोलिया तहसील करेड़ा
7. टीपु पत्नी बालु कलाल उम्र व्यस्क निवासी आठोलिया तहसील करेड़ा
8. जसोदा पत्नी बालु कलाल उम्र व्यस्क निवासी आठोलिया तहसील करेड़ा फौत
   डिलीट दिनांक 10.02.2020
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा जिला भीलवाड़ा

———

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

———

वादी की ओर से श्री मुकेश [illegible] और प्रतिवादी की ओर से अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के [illegible] 06.07.2021 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 11:22:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

की जाती है कि ——और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि —— को दी जायें।

वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार कर वादी का वादपत्र स्वीकार कर सरहद आठोलिया पटवार हल्का शिवपुर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 2,3, 91, 117, 169, 170, 171, 179, 222, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 527, 528, 606, 607, 657, 666, 678, 685, 686, 687, 3369/2, 3405/179, 3419/298, 3420/299, 3421/299, 3422/307 कुल किता 31 रकबा 39 बीघा 07 बिस्वा के राजस्व रेकार्ड मे वादीगण का नाम नरेश कुमार पुत्र श्री बालू कलाल के बजाय नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बालू कलाल व नीला पुत्री बालू कलाल की जगह लीला पुत्री बालू कलाल दुरूस्त कराया जावे। इसी अनुसार निर्णय व डिक्री की पालना हो। खर्चा फरीकेन अपना— अपना वहन करे।

(महिपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

आज दिनांक 06.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(महिपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 11:22:57 IST
Reason: SelfAttested